अध्याय- प्रथम

शोध परिचय

अध्याय– प्रथम

शोध परिचय

1.1 भूमिका

1.2 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का महत्व

1.3 शिक्षा में हिन्दी भाषा का महत्व

1.4 हिन्दी भाषा के कौशल

1.4.1 लेखन कौशल.

1.4.2 लेखन कौशल का महत्व

1.5 क्षमता क्या है ?

1.5.1 शिक्षा में क्षमता का महत्व

1.5.2 क्षमता की विशेषताएँ

1.5.3 बालक की क्षमता की कमजोरियों का विवरण

1.6 समस्या की पूर्व भूमिका

1.7 समस्या का प्राकथन

1.8 पदों व संकल्पनाओं की परिभाषा

1.9 अध्ययन की आवश्यकता

1.10 उद्देश्य

1.11 परिकल्पनाएँ

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1 भूमिकाः

भाषा हमारे सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम और भावबोध का अन्यतम साधन हैं। व्यक्ति के पास भाषा ही अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन हैं। भाषा ही मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में उसके अपने सृजक के साथ एकरस, एकलीन, होने का माध्यम है। ऐशिया महादेश की भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा हैं जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती हैं। आज अपने देश में हिन्दीं का कम महत्व नहीं हैं।

हिन्दी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही हैं। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि समुचे देश को एक सूत्र में बाँधनेवाली भाषा हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसमें बहुधर्मी, बहुभाषीय लोग निवास करते हैं। इन विभिन्नताओं में एकता लाने का कार्य हिन्दी भाषा के द्वारा ही संभव हैं। हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतिक हैं।

राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों मेंः

" हिन्दी तोडनेवाली नहीं जोड़नेवाली भाषा हैं। हिन्दी भाषी प्रान्तों में अनेक जनपदीय भाषाऐं हैं, हिन्दी ने सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों को एक सूत्र में बाँध रखा हैं। यही नहीं हिन्दी का एक अदृश्य तार गुजरात से लेकर असम तक सारे उत्तर भारत को एक धागे में बाँधें हुए हैं।"

हिन्दी का संपर्क के रूप में महत्व यह हैं कि जब दो या अधिक भाषायी लोग एकत्र होते है तब वे अपना संपर्क हिन्दी भाषा के द्वारा करते हैं और यह हमें उद्योग, व्यापार एवं व्यावसाय के क्षेत्र में अधिक दिखाई देता हैं।

उच्च ज्ञान प्राप्त हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व हैं। हिन्दी साहित्य इतिहास का ज्ञान तथा हिन्दी भाषा की संरचना का

ज्ञान, साहित्यकारों, काव्यशास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिन्दी का महत्व हैं।

1.2 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का महत्व–

हमारा देश एक बहुभाषी देश हैं जिसमें विभिन्न प्रान्तों में और स्थानो पर अलग–अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। भाषाएँ बहुत है– इनमें से केवल 18 भाषाओं को हमारे संविधान में प्रमुख भाषाएँ मानकर उल्लेख किया गया है ये प्रमुख भाषाएँ है– हिन्दी, गुरूमुखी यानी पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड़, उडिया, बंगला, आसमी, उर्दू, कश्मीरी, सिन्धी, नेपाली, मणिपूरी, कोंकणी, मलयालम और संस्कृत। काफी सोच विचार के बाद इन भाषओं में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देने का निर्णय संविधान के अंतर्गत किया गया कि जब तक अहिन्दी भाषी प्रान्तों में इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया जाए, सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का भी द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहेगा। संविधान निर्माताओं तथा तत्कालीन राजनीतिज्ञों द्वारा यहाँ ही एक बड़ी भूल हो गयी जिसकें दुष्परिणाम के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षो पश्चात भी हिन्दी को संपूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का क्रियात्मक रूप से स्थान नहीं मिल पाया हैं।

1.3 शिक्षा में हिन्दी भाषा का महत्वः

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उनके समाजीकरण में भाषा का पूरा योगदान होता हैं। यह माना जाता है कि मानव में भाषा अर्जन और भाषा व्यवहार की सहज क्षमता रहती हैं। इसके कारण ही वह जन्म से ही भाषा को अर्जित करना प्रांरभ कर देता हैं। सबसे पहले वह अपने परिवेश में प्रचलित भाषा को सीखता हैं।

अहिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी भाषा के रूप में विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं इस भाषा का विशेष महत्व रहता हैं। भिन्न–भिन्न राज्यों के व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तन के साथ–साथ अनेक नवीन खोजो को भाषा के माध्यम से अहिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षको को जानकारी मिलती है। राज्य एवं राष्ट्रीय

स्तर पर शिक्षा पर शिक्षा को लेकर हो रहे संगोष्ठी कार्यप्रणाली में विद्यार्थी आसानी से भाग ले सकते हैं। यह सब तभी संभव हो सकेगा जब हिन्दी भाषा की उपलब्धि अहिन्दी भाषी क्षेत्र की विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर से ही अच्छी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभ्यास के लिए हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नवीन क्रांति तथा प्रयोग के लिए हिन्दी भाषा का अपना विशिष्ट महत्व हैं।

1.4 हिन्दी भाषा के कौशलः

मनुष्य अपने विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाता है, वही भाषा हैं। भाषा के दो रूप हैं– मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप का प्रयोग करने के लिए हम सुनते व बोलने की क्रिया करते है और लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए पढ़ने व लिखने की।

बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान–प्रदान करता है। अतः इन योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा के सीखने के चार चरण है जो क्रमशः सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हैं।

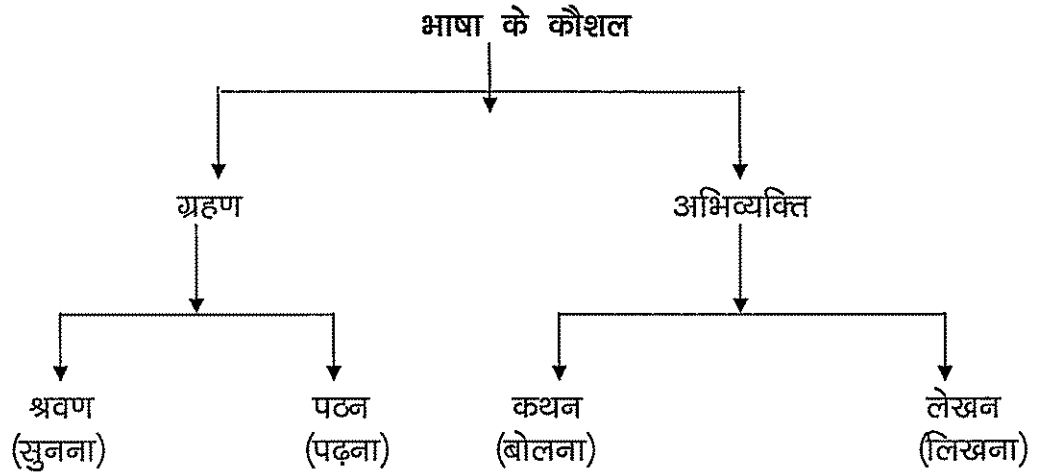

("प्रसाद वासुदेवनन्दन (1999)" आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना)

इन चारों कौशल का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इनका विकास क्रम में होता है जैसे बिना सुने बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए सुनना अत्यन्त आवश्यक हैं। तत् पश्चात वह पढ़ना और लिखना सीखता हैं। अतः इन चारों में से यदि पहले कौशल का विकास बच्चें में नहीं हो पाया तो वह आगे के कौशल नहीं सीख सकता। सुनना व बोलना किसी भाषा को सीखने का पहला चरण हैं। इसलिए इसको प्राथमिक या निवेशी कौशल के नाम से जाना जाता हैं तथा पठन व लेखन इनके फलस्वरूप ही विकसित हेाते हैं। अतः इन्हें द्वितीय या निर्गत कौशल की संज्ञा दी गई हैं।

छात्रों में इन चारों कौशलों को विकसित कर उनमें विचारों के आदान-प्रदान अर्थात दूसरों के भाव व विचार व्यक्त करने की क्षमता व योग्यता विकसित हुई हैं या नही इसका पता उनमें होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनो से लगाया जाता हैं।

1.4.1 लेखन कौशलः

सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता हैं। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता हैं। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार लिखित अभिव्यक्ति ही हैं।

लेखन कला व्यक्ति की सफलता का मूलमंत्र है, इसके अभाव में व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो यदि वह अपने विचारों एवं भावों को लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है, यदि उसका हस्तलेखन ठीक नहीं है तो वह संपर्क में आनवाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छे लेखन की शक्ति अद्भूत होती हैं। यही वह कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर जन-जन तक पहुँचा सकते है। ''कलम बड़ी या तलवार'' से यह श्रेष्ठ निरूपित किया गया हैं। वहाँ वस्तुतः लेखन कला की उत्कृष्टता की सराहना की गई है।

महात्मा गांधी के अनुसार- ''शुद्ध लेखन शिक्षा का आवश्यक अंग हैं।''

1.4.2 लेखन कौशल का महत्वः

लेखन कौशल के महत्व को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं।

- ❖ अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता हैं। लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
- ❖ जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र है जहाँ केवल मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चल सकता दूर रहने वाले मित्र या संबंधी को अपने संदेश देने, एक–दूसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुँचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती हैं।
- ❖ दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब–किताब रखने आदि व्यावहारिक कार्यो में लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता हैं।
- ❖ भाषा के दो रूप है– मौखिक एवं लिखित। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से भी लेखन कौशल का विकास आवश्यक हैं।
- ❖ शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नो का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार तैयार करने गृहकार्य करने आदि में लेखन–कौशल की आवश्यकता होती हैं।
- ❖ हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुँचाया हैं। इसी प्रकार हमारी संस्कृति आने वाली पीढ़ी तक भी लिखित भाषा के माध्यम से ही हस्तांतरित होती रहती हैं।
- ❖ लिखित भाषा बालक के हाथ और मस्तिष्क में संन्तुलन बनाकर रखती हैं। भाषा में एकरूपता लाती हैं।
- ❖ लिखित भाषा ही साहित्य के भण्डार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कहाँ से आता? यदि लेखन कौशल न होता तो नई–नई रचनाएँ कहाँ से आती?

- ❖ आधुनिक शिक्षा–प्रणाली की प्रमुख विशेषता परीक्षा हैं। इसके बिना शिक्षा–प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं। लेखन कौशल के द्वारा ही बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता हैं।
- ❖ देश–विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही हैं।
- ❖ व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा हैं। हर व्यवसाय में तरह–तरह के रिकार्ड आदि लिखकर रखने पडते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक एवं सांवेगिक विकास करना हैं। शिक्षा का मुख्य आधार शिक्षक और छात्र हैं। छात्र का विकास जन्म से ही परिवार, स्कूल आदि से आरंभ होता है। बच्चा जब छोटा होता है तब से घर में उसका शारीरिक, मानसिक विकास होता है किन्तु बालक जब शाला में जाता है तब उसके विकास को सही गति मिलती हैं।

वैसे भी कहा जाता है कि आज का बालक आनेवाले कल का नागरिक हैं। इसी लिए देश का विकास तभी हो सकता है जब बालक का विकास होगा। आज का युग स्पर्धात्मक युग हैं, जिसमें बच्चों के ज्ञान की स्पर्धा होती है किन्तु जो बच्चे जिनमें सुषुप्त ज्ञान होता हैं, वह बच्चें जो कमजोर होते है, जिनमें ज्ञान तो होता है किन्तु किसी कारणरूप वह ज्ञान बाहर नहीं आ सकता उस बच्चों के लिए शिक्षा भाररूप बन गई हैं, क्यों? आज इन कमजोर बालको के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा हैं।

"मेरे हिसाब से शिक्षा याने बच्चो की आन्तरिकशक्ति, योग्यता कौशल और क्षमता को बाहर लाने की प्रक्रिया हैं।"

वैसे भी शिक्षा तो होती है बच्चों के लिए। आज के बच्चें ही कल के नागरिक हैं। **"बच्चें तो प्रकाशकुंज है, जो सारे अंधेर को दूर करते हैं।"** शिक्षण प्रक्रिया बच्चों को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए। हर बच्चें में कोई न कोई क्षमता होती है, केवल वह किसी न किसी तरह से बाहर

आनी चाहिए। बालक कोई भी विषय में कमजोर है तो उसके कारण विभिन्न हो सकते है।

- सामाजिक
- मानसिक
- आर्थिक
- शारीरिक

सामाजिक कारणों में बालक जैसे कि ऐसे वातावरण में रहता हो जहाँ उसे सीखाया नहीं जाता हो, शाला में भी नहीं जाता हो–तो उसकी क्षमता बाहर ही नहीं आ सकती। पालको का भी शिक्षित नहीं होना जो बच्चों को गृहकार्य करा सकें।

मानसिक कारणों में बच्चें की मानसिक स्थिति अच्छी न हो, उसमें बुद्धि–क्षमता कम हो तथा मानसिक तनाव हो आदि।

शारीरिक रूप से कमी के कारण भी बच्चें की क्षमता बाहर नहीं आ सकती।

वैसे तो इन सभी कारणों का विवरण ही करेंगे, इन कारणों को सुलझा ने के उपाय भी हैं, किन्तु स्कूल में जो बच्चें हैं उनकी क्षमता को बढ़ाकर इन समस्याओं को हल कर बालक का शैक्षिक विकास कर सकते हैं। स्कूल में ऐसी प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों की क्षमता को बाहर ला सकते हैं। प्रश्न यह होता है ये क्षमता क्या हैं?

1.5 क्षमता क्या हैं?

क्षमता याने योग्यता कौशल। जैसे कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषताएँ होती हैं उसी प्रकार बच्चों में भी क्षमता होती है जो जन्मपाजे होती हैं जिसें सिर्फ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती हैं। जैसे कि **"तिनके को हवा मिल जाये तो वह आग बन जाती है।"**

क्षमता को बढ़ाने के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाये तो बच्चों की रूचि को बढ़ाया जा सकता है। क्षमता बच्चों के ज्ञान की दिशा निर्धारित करती है। क्षमता की सफलता से बच्चों के मानसिक स्तर में सुधार होता हैं, बच्चा कक्षा में सहयोग देता हैं, समूह में ज्ञान का आदान प्रदान करता हैं और उसकी नैतिक शक्ति में भी वृद्धि होती हैं।

शिक्षा संस्थान द्वारा क्षमता निर्धारित की जाती है, जो बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के आधार पर निर्धारित होती हैं। जैसे कि हर एक विषय में कक्षा पाँचवी, छठी, सातवी की क्षमतायें अलग-अलग होती हैं जिसके माध्यम से विषय को सरल बनाया जाता हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हैं। गुजरात प्रांत में हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया हैं। तदुपरांत हिन्दी भाषा हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन विकास के लिए उपयोगी है इसलिए उसे सीखना आवश्यक हैं। गुजरात में हिन्दी (द्वितीय भाषा) कक्षा- 4 से 6 तक के पाठ्यपुस्तक आनन्ददायी, प्रवृत्तिलक्षी एवं क्षमताकेन्द्री अभिगम को केन्द्र में रखकर निर्माण किये गये हैं। इन बातो को मद्देनजर रखकर कक्षा 7 के छात्रों के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तक में क्षमताओं का निर्धारण किया गया हैं जिसमें से लेखन क्षमताओं का विवरण निम्नलिखित हैं।

लेखन

4.7.1 वाक्य और परिच्छेद तथा काव्यपंक्तियों का अनुलेखन करता हैं ओर समझता है।

4.7.2 वाक्यों और परिच्छेद का श्रुतलेखन करता है तथा लिखते समय सही विरामचिह्नों का प्रयोग करता है।

4.7.3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखता हैं।

4.7.4 परिचित विषय पर दस-पद्रंह वाक्य लिखता है।

4.7.5 सुनकर और पढ़कर 'क्यो' और 'कैसे' वाले प्रश्नों के उत्तर लिखता है।

4.7.6 सरल भाषा में दस-बारह वाक्यों में पत्र लिखता है।

4.7.7 सरल परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करता है।

व्यवहारिक व्याकरण

5.7.1 मुहावरों, कहावतों और शब्द-समूहों का अर्थ देता है और उनका प्रयोग करता है।

5.7.2 लिंग, वचन का परिवर्तन करता है।

5.7.3 क्रिया के काल तथा विशेषण का उपयोग करता है।

आज शिक्षक को अन्य प्रवृत्तियाँ अधिक मिलती है जिसके कारण शिक्षक विषय को अच्छी तरह से वर्णित नहीं कर सकता, उपकरणों को उपयोग में नहीं लेता। उपकरण मात्र Wall Piece बनकर रह गये हैं और बच्चों का भविष्य समय के साथ पानी की तरह बह रहा है। हर एक बच्चा शिक्षा का हक्कदार हैं और हर एक बालक को व्यवस्थित शिक्षा देना शिक्षक की जिम्मेदारी हैं। बालक की मानसिक शक्ति को दिशा देना तथा सुषुप्त शक्ति को बाहर लाना ही तो शिक्षा हैं। जब बच्चों को खास कर कमजोर बच्चों को होशियार बनाती है वह है आदर्श शिक्षा। होशियार बालकों को तो प्रेरणा मिल ही जायेगी किन्तु कमजोर बालक योग्यता होने पर भी आगे नहीं बढ़ेगा, तब शिक्षा सार्थक नहीं बनेगी।

1.5.1 शिक्षा में क्षमता का महत्वः

जैसे कि हमने आगे देखा कि बालक ही शिक्षा का मुख्य आधार है। शिक्षा की प्रक्रिया बालक के लिए ही हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए बालक का विकास होना अत्यंत जरूरी है। बालक का विकास यानि संपूर्ण विकास, बालक में छिपी हुई आंतरिक शक्तियों का विकास, बालक की क्षमता का विकास। अगर बच्चें को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह कक्षा में ध्यान नहीं देगा, वह निराश हो जाता है, वह आलसी हो जाता है, विषय के प्रति उसकी अरूचि हो जायेगी और इसकी प्रतिकूल असर शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ेगी। इस प्रकार शिक्षा और छात्र एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे से संबंधित हैं शिक्षण प्रक्रिया का मूल स्त्रोत ही बच्चों को ज्ञान अर्जित करना होता हैं। इस प्रकार **"बालक के मन के विचार-तरंगों को बाहर खींच लाना ही शिक्षा हैं।"**

शिक्षा का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो शिक्षा सार्थक नहीं होगी। हम हर एक बच्चें को ध्यान में रखकर तथा उसकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके कारणों का अध्ययन कर उसका विकास कर हम पूरे समाज को पूरे देश को प्रगति के शिखर पर पहुँचा सकते हैं। बालक का शैक्षिक विकास शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य हैं। अतः शिक्षा में

बालकों के लिए क्षमता का महत्व स्थापित हुआ है **"कहते है कि छीप में मोती छीपा होता है, उसी प्रकार बालक में अनमोल क्षमता छीपी होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती।"** अंदर की सुषुप्त प्रकाश की किरणों के समान क्षमता को बाहर खींचकर हर एक कोने को रोशन कर देना शिक्षक की ही जिम्मेदारी एवं कर्तव्य हैं।

1.5.2 क्षमता की विशेषताएँः

क्षमता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैः

1. क्षमता वर्तमान समय की योग्यता का वह समुच्चयय है जो बालक के भविष्य का निर्धारण करती हैं।
2. क्षमता जन्मजात है या योग्य शिक्षण के मार्गदर्शन से सुषुप्त क्षमता बाहर आती हैं।
3. क्षमता बालक को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्त्रोंत होते है।
4. क्षमता बालक के ज्ञान में वृद्धि करती है।
5. क्षमता शिक्षण प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाती है।
6. क्षमता से देश का विकास होता है क्योंकि बालक का मानसिक विकास होगा तो देश की प्रगति निश्चित ही है।
7. बालक की क्षमता विकसित हेागी तो समाज की आर्थिक, सामाजिक प्रगति होगी।
8. क्षमता की संतुष्टि से बालक की रूचि में प्रगति होगी।

1.5.3 बालक की क्षमता की कमजोरियों का विवरणः

वैसे तो बालकों की क्षमता में कमजोरियों के अनेक कारण है जो हम आगे देख चूकें हैं।

- ❖ सामाजिक
- ❖ आर्थिक
- ❖ मानसिक
- ❖ शारीरिक

किन्तु वर्गखंड में बच्चों की क्षमता में कमजोरियो के कारण इस प्रकार से है–

- ❖ पाठ्य–विषय की कम जानकारी
- ❖ भाषा की समस्या का प्रभाव
- ❖ योग्य मार्गदर्शन का अभाव
- ❖ शिक्षक का ध्यान देकर नहीं पढ़ाना
- ❖ शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करना
- ❖ बालक का अपमान करना
- ❖ अन्याय करना
- ❖ व्यक्तिगत नफरत करना
- ❖ गृहकार्य में सहायता ना करना
- ❖ उपकरणों का उपयोग नहीं करना।

1.6 समस्या की पूर्व भूमिकाः

सामान्यरूप से बालक में जन्मपाज क्षमताऐं होती है। जरूरत है मात्र उसे बाहर लाने की और यह आदर्श कार्य आदर्श शिक्षक ही कर सकता है –**"हर एक बालक एक छीपा हुआ दैदीप्यमान दीया है सिर्फ उसे जलानेवाली एक तिली की जरूरत हैं जो सारे राष्ट्र को अंधरे से उजाले की तरफ ले जाकर सारे जहाँ को रोशन कर सकने की योग्यता रखता है।"**

बालक के अंदर की छीपी हुई यही योग्यता को बाहर लाने के उपाय हैं– उनकी कमजोरीयों के कारणों को ढूँढ़ना, उनका निराकरण करना– यह कार्य शिक्षक का हैं। बालक के अनुरूप योग्य वातावरण का निर्माण कर, मैत्रीपूर्ण व्यवहार एवं पाठशाला को घर जैसा बनाकर, बिना भय एवं शांतिपूर्ण वातावरण देकर उनकी छीपी क्षमता को बाहर लाया एवं बैठाया जा सकता है।

अनुसंधान अध्ययन के लिए इसी विषय को चुनने के पीछे वैचारिक भूमिका वर्तमान समय में विद्यार्थियों को हो रही अनेक समस्याओं जैसे कि–अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर सकना, भय के

कारण उसे विषय का ज्ञान होता हैं, फिर भी वह आगे नहीं आ सकता। उसमें क्षमता है, फिर भी योग्य मार्गदर्शन के अभाव के कारण वह हमेंशा पीछे रह जाता है। इस शोधकार्य के द्वारा मेरा यही उद्देश्य रहा है कि जो कमजोर बालक है– उनकी कमजोरियों का अध्ययन किया जाये।

1.7 समस्या का प्राकथन :

सामान्य रूप से कोई भी चीज सीखाते समय शिक्षक की अपनी एक मात्र परंपरागत पद्धति होती हैं। लेकिन बालक भिन्न–भिन्न शैली एवं पद्धतियों से सीखता है। उनकी क्षमतायें इसी पद्धतियों पर निर्भर भी हैं। हो सकता है, बालक में छीपी क्षमतायें बाहर लाने के लिए बालक को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उसकी क्षमता को बाहर लोने के लिए शिक्षक को प्रयत्नशील होना चाहिए।

महात्मा गांधीजी ने अपने शैक्षिक विचारों मे इसी बात को साररूप बताते हुए कहा है कि– **"बालक के भीतर जो कुछ अच्छा है उसे पहचानकर उस प्रतिभा को बाहर लाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।"**

इस प्रकार शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित अध्ययन लिया गया–

"कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में लेखन–क्षमता में कमजोरीयों का अध्ययन।"

1.8 पदों व संकल्पनाओं की परिभाषाः

जिस प्रकार बच्चें सुनकर, बोलकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान–प्रदान करते है उसी प्रकार लेखन कौशल भी विचार–अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अनेक कवि एवं लेखक अपनी इसी कौशल एवं क्षमता के कारण विश्वविख्यात भी हैं। वास्तव में "लेखन एक कला है– जिसमें हम अपने भावों, विचारों एवं संवेदनाओं को आकृति प्रदान कर उसको व्यक्त करते है। अपने मन की अभिव्यक्ति को वाचा देते हैं।" इन्हें ही भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाता है।

लेखन कौशल से लेखन क्षमता में वृद्धि होती हैं।

लेखन क्षमता– लिखने की योग्यता।

लिखकर विचार व्यक्त करना।

1.9 अध्ययन की आवश्यकताः

भाषा विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है जो हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाती हैं तथा दूसरों को हम तक पहुँचाती हैं। कुछ लोग अपने विचारों को बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से बोलकर एवं लिखकर व्यक्त करते है, वहीं दूसरी तरफ भाषा में कठिनाई एवं कमजोरी होने के कारण उन्हें कुशलतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक ऐसा ही विद्यार्थियों के साथ भी होता है कि उनसे उनकी मातृभाषा गुजराती होने के कारण हिन्दी में कमजोरियों का सामना करना पड़ता हैं इसके कई कारण हो सकते है जिनमें कुछ कारण निम्नलिखित हैः

1. मातृभाषा (गुजराती) का प्रभाव होने के कारण
2. छात्र के अंदर की योग्यता एवं क्षमता का विकास न हो पाना
3. छात्र की कमजोरियों के कारणों का सुझाव न करने का कारण
4. उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव
5. मानसिक सकारात्मक अभिवृत्ति का न होना तथा
6. पालकों का अशिक्षित होना।

इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन किया गया हैं। जो मातृभाषा गुजराती होने के कारण हिन्दी में ज्यादा कमजोरीयाँ पायी जाती है और थे कमजोरियाँ कितनी हैं? इसका अध्ययन करना शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य हैं। भाषागत लेखन की क्षमताओं का उचित विकास न होने के कारण वे हिन्दी भाषा में कमजोरियों का सामना करते है।

1.10 उद्देश्य

1. कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा में लेखन की क्षमता में कमजोरियों का अध्ययन करना।
2. उपलब्धि परीक्षण एवं क्षमता परीक्षण के बीच संबंध का अध्ययन करना।
3. उपलब्धि परीक्षण में लेखन क्षमता की कमजोरियों में छात्र एवं छात्राओं के बीच अंतर का अध्ययन करना।

4. क्षमता परीक्षण में लेखन क्षमता की कमजोरियों में छात्र एवं छात्राओं के बीच अंतर का अध्ययन करना।

5. कक्षा सातवी में हिन्दी भाषा में लेखन की क्षमता में कितने विद्यार्थी निम्न स्तर पर है और कितने विद्यार्थी उच्च स्तर पर है उसका अध्ययन करना।

1.11 परिकल्पनाएँ

1. उपलब्धि परीक्षण एंव क्षमता परीक्षण में कोई सार्थक संबंध नहीं हैं।

2. उपलब्धि परीक्षण में लेखन क्षमता की कमजोरियों में छात्र एवं छात्राओं के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।

3. क्षमता परीक्षण के लेखन क्षमता की कमजोरियों में छात्र एवं छात्राओं के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं हैं।